

हरपाल सिंह आदि बनाम जगनन्दन सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 24 सन् 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/90

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तामिल
हुकम

08.07.2025

अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 50 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 09/08 के मुरब्बा नम्बर 38, 50/10, खाता संख्या 18/22 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, चक 3 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 50/52 के मुरब्बा नम्बर 50, 55 की भूमि में से जगनन्दन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कुल 1.751 हेक्टैयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा वादगत भूमि में से प्रार्थीगण को कोई हक हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 50 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 09/08 के मुरब्बा नम्बर 38, 50/10, खाता संख्या 18/22 के मुरब्बा नम्बर 20, 21, चक 3 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 50/52 के मुरब्बा नम्बर 50, 55 की भूमि में से जगनन्दन सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कुल 1.751 हेक्टैयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपस्थंड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

